

जय माता दी

किस्म दस्तावेज
भूमि का प्रकार
वार्ड/परगना
ग्राम/मौहल्ला
सम्पत्ति का विवरण

बैनामा
आवासीय भूखण्ड
तहसील व जिला आगरा
विश्वकर्मा कार्निवाल मौजा दहतोरा
भूखण्ड संख्या

भूखण्ड का क्षेत्रफल
मापन की इकाई
सडक की स्थिति
अन्य विवरण

खसरा संख्या 217
..... वर्ग मीटर।
वर्ग मीटर।

रास्ता मीटर चौड़ा।

विक्रीत भूखण्ड कार्नर व दो रास्ते व पार्क के सामने स्थित नहीं है,
तथा किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है।

प्रतिफल की धनराशि
सरकारी कीमत
सर्किल रेट

...../—रुपया।

...../—रुपया।

...../—रुपया प्रति वर्ग मीटर,

जो पृष्ठ संख्या कम संख्या पर अकिंत है।

स्टाम्प

...../—रुपया का E STAMP CERTIFICATE NUMBER -IN-
UP..... अदा किया गया है।

सीमायें

—

पूरब

.....

पश्चिम

.....

उत्तर

.....

दक्षिण

.....

विक्रेता/प्रथम पक्ष की संख्या—1

- 1 बृजेश सहकारी आवास समिति लि० आगरा निबन्धन संख्या 3025 दिनांक 17/10/2002 ई० द्वारा सचिव श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री ओम प्रकाश गुप्ता नि०-2 विश्वकर्मा ग्रीन, सिकन्दरा तहसील व जिला आगरा। MOBILE NUMBER -, PAN NUMBR -

एवं

क्रेता/द्वितीय पक्ष की संख्या—1

1 श्री/श्रीमतीपुत्र/पत्नी/पुत्रीनि०-
 |—सदस्य समिति। PAN NUMBER -, MOBILE
 NUMBER -

विवरण प्लॉट विक्रीत—

एक किता भूखण्ड सख्या व तादात वर्ग गज यानि
 वर्ग मीटर, पैमायश पूरब फुट व पश्चिम फुट व उत्तर फुट व
 दक्षिण फुट, मिनजुमला खसरा सख्या 217, वाकै विश्वकर्मा कार्निवाल मौजा दहतोरा तहसील
 व जिला आगरा कि जो साथ लगे नक्शे मे व रंग लाल से स्पष्ट तौर से दर्शाया गया है।

प्रलेख—

विदित हो कि उक्त समिति उ० प्र० सहकारी समितियों अधिनियम सन 1965 के परिच्छेद -6
 के अन्तर्गत आती है तथा उ० प्र० सहकारी आवास संघ लखनऊ एपेक्स सोसायटी की विधिवत सदस्या
 है अतः नगरीय सम्पत्ति सीमा सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर अस्थाई प्रतिबंध अध्यादेश सन 1976 के
 प्राविधानो से मुक्त है, और समिति उक्त भूखण्ड को अन्तरण करने मे पूर्ण सक्षम है।

विदित हो कि खसरा सख्या 217 की भूमि को विक्रेता समिति ने वजरिये बैनामा रजि० सुदा नविश्ता
 भूपसिंह, लोहरे सिंह, मानिकचन्द, भगवान सिंह पुत्रगण श्री नारायण सिंह व वीरी सिंह पुत्र श्री रामफल
 से दिनांक 11/09/2003 ई० जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबंधक आगरा मे वही नम्बर एक
 जिल्द सख्या 3864 पृष्ठ सख्या 107/176 नम्बर दस्तावेज 5061 पर दर्ज रजिस्टर्ड हुआ के क्रय कर
 अध्याप्त किया है, और वाद खरीदारी के समिति ने अपने नाम का नामांकन राजस्व अभिलेखो मे
 वहैसियत स्वामी के दर्ज कराया तथा आगरा विका प्राधिकरण आगरा से उक्त कॉलौनी विश्वकर्मा
 कार्निवाल के नाम से मानचित्र स्वीकृत कराया। इस प्रकार उक्त भूखण्ड की समिति एक मात्र मालिक
 काविज व दखील चली आती है, अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार किसी तरह का नही है
 जो माने किसी तरह के इतकाल बगैरा का होवे। समिति को भूखण्ड अंतरण आदि करने के अधिकार
 विधिवत प्राप्त है और जिसे क्रेता सदस्य समिति के नियमानुसार प्राप्त करना चाहता है, विक्रीत भूखण्ड
 समिति की और से आज तक हर प्रकार के दावे व झगडे व आवटन आदि से पाक व साफ है अतः
 उक्त भूखण्ड का विक्रय करना स्वीकार है तथा क्रेता, विक्रेता समिति का विधिवत सदस्य है।

लिहाजा मै विक्रेता वहैसियत सचिव उक्त समिति के अपनी राजी व खुशी से खूब सोच समझकर बिना
 बहकाये व बिना किसी दबाब नाजायज के उक्त भूखण्ड सख्या व तादात वर्ग
 मीटर कुल को मयजुमला हक हकूक व दाखिली खारिजी, व बिना छोडे किसी स्वत्व व अधिकार के
 मय गुडटाइटिल के व एवज मुवलिंग/—रुपया कि आधे जिसके मुवलिंग
/—रुपया होते है। मे वदस्त

..... सदस्य उक्त को विक्रय कतई किया और
 बेच दिया और कीमत का कुल धन मुवलिंग/—रुपया प्रथम पक्ष समिति ने क्रेता
 सदस्य द्वितीय पक्ष से निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिये है।

निम्न विवरण —

AMOUNT	CHEQUE/RTGS	DATE	BANK/BRANCH

अब समिति का क्रेता सदस्य से भूखण्ड की कीमत में कुछ भी पाना शेष नहीं रहा और ना आयंदा होगा। उक्त भूखण्ड के विक्रय में समिति ने भूखण्ड का मूल्य व आन्तरिक विकास व्यय कुल प्राप्त कर लिया है।

लिहाजा कब्जा व दखल विक्रीत भूखण्ड पर क्रेता सदस्य का करा दिया और मालिक काविज व दखील बना दिया अब क्रेता सदस्य को अधिकार है कि वह उक्त भूखण्ड से वहसियत मालिक के जिस प्रकार चाहे समिति के नियमानुसार लाभाविंत होवे उस पर निर्माण करे व रहन व विक्रय व हिवै आदि जो चाहे सो करे तथा अपने नाम का नामाकंन सम्बन्धित विभाग में जरिये बैनामा हाजा दर्ज कराले कुछ उज्र व एतराज न होगा। अगर भविष्य में क्रेता उक्त भूखण्ड का विक्रय करता है तो उसे समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अगर भविष्य में समिति का कोई पदाधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दावा व झगडा उक्त भूखण्ड की वावत क्रेता से करे तो उसकी जवावदेही व जिम्मेदारी विक्रेता समिति व कायम मुकामान प्रथम पक्ष की होगी।

विक्रीत प्लाट नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है, जिसको किसी वाद में अतिरिक्त भूमि धोषित नहीं किया गया है और न ही उसका कोई मुआवजा प्राप्त किया है।

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया गया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 29/07/2022 ई0 व मसौदा दस्तावेज लेखक सदर तहसील व जिला आगरा। दस्तावेज पक्षकारान के निर्देशानुसार व कथनानुसार तहरीर किया गया है।

गवाह —

गवाह —